भारत सरकार राज्य सभा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अतारांकित प्रश्न सं. 225

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 03 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

ऑटोमोबाइल का निर्यात

225 श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क): क्या यह सच है कि सरकार ने ऑटोमोबाईल क्षेत्र खासकर यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की है;

(ख): यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग): निर्यात किए गए कुल वाहनों में कितने प्रतिशत वाहनों का निर्माण हरियाणा में हुआ है; और

(घ): क्या सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी निर्यात बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम चलाया गया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): और (ख): विगत दो वर्षों के दौरान भारत का यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहन सहित ऑटोमोबाइल के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(वाहनों की संख्या)

श्रेणी	**2020-21**	**2021-22**	% परिवर्तन
यात्री वाहन	4,04,397	5,77,875	42.9
वाणिज्यिक वाहन	50,334	92,297	83.4
तिपहिया वाहन	3,93,001	4,99,730	27.2
दो पहिया वाहन	32,82,786	44,43,018	35.3
क्वॉड्रीसाइकल	3,529	4,326	22.6
कुल योग	**41,34,047**	**56,17,246**	**35.9**

स्रोतः एसआईएएम

उपरोक्त तालिका के आंकड़ों से पता चलता है कि ऑटोमोबाइल के निर्यात की कुल संख्या 35.9% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2020–21 में 41,34,047 से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 56,17,246 हो गयी। इसमें से, कार सहित यात्री वाहनों का निर्यात 42.9% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2020–21 में 4,04,397 से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 5,77,875 हो गया और वाणिज्यिक वाहन 83.36% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2020–21 में 50,334 से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 92,297 हो गए।

(ग): वर्ष 2021–22 के दौरान वाहनों के कुल निर्यात में हरियाणा से निर्यात किए गए मोटर वाहन/कार 9.89% थे।

(घ) सरकार ने भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) विदेश व्यापार नीति (2015–20) 31.03.2023 तक बढ़ा दी गई है।

(ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 31.03.2024 तक बढ़ाया गया है।

(iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

(iv) श्रम उन्मुख क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से कार्यानिवत की गई है।

(v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। 15.12.2022 से शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहे और इस्पात की वस्तुओं को आरओडीटीईपी के तहत कवर किया गया है! इसी तरह 432 टैरिफ लाइनों में विसंगतियों को दूर किया गया है और 16.01.2023 से संशोधित दरें लागू कर दी गई हैं।

(vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों का निर्यात करने में आने वाली अडचनों को दूर करके और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में लांच किया गया है।

(viii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

*****